

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)2()स्था./आईसीडीएस/18/ 177368

जयपुर, दिनांक

3-10-18


आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 169690 दिनांक 18.9.18 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के क्रम संख्या 12 पर अंकित श्रीमती दुर्गा कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का परियोजना भीम (राजसमन्द) में तथा क्रम संख्या 18 पर अंकित श्री राजू सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का परियोजना राजसमन्द ग्रामीण (राजसमन्द) में स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश दिनांक 31-7-2018 के क्रम में जो कार्मिक फोटोयुक्त मतदान सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं, उक्त कार्मिकों पर यह आदेश वर्णित कार्य पूर्ण होने तक प्रभावी नहीं होगा।

उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

क्रमांक-एफ.1(3)2()स्था./आईसीडीएस/18/177369-379
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक
3-10-18

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (4) जिला कलक्टर
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- (6) एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- (7) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
- (8) बाल विकास परियोजना अधिकारी
- (9) सम्बन्धित श्री
- (10) आदेश पत्रावली।


उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।